राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः—एफ—2(88)/रालसा/DS-I/21 दिनांकः— 12/1/2022

कार्यालय आदेश

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2018 के विनियम 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर हेतु देखरेख एवं परामर्शदात्री समिति का गठन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 693 दिनांक 13.12.2018 द्वारा किया गया था।

जयपुर महानगर के विभाजन के उपरान्त विशिष्ठ न्यायाधीश, न्यायालय सती निवारण जयपुर का क्षेत्राधिकार जयपुर महानगर—द्वितीय में आ जाने के कारण उनके स्थान पर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनानुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम संख्या—2, जयपुर महानगर—प्रथम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—प्रथम हेतु देखरेख एवं परामर्शदात्री समिति (Monitoring and Mentoring Committee) में बतौर सदस्य मनोनीत किया जाता है।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः—एफ—2(88)/रालसा/DS-I/414-420 दिनांकः— 12/1/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—प्रथम को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति मनोनीत सदस्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम—02 जयपुर महानगर—प्रथम को उपलब्ध करावें।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विशिष्ठ न्यायाधीश, न्यायालय सती निवारण जयपुर महानगर—द्वितीय को उपलब्ध करावें।
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
6. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली/वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

12/01/2022
उप—सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर